(प-10)

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

क्रमाक:पं034(5)चिस्वा/2/13 जयपुर,दिनांक: 22-8-14

निदेशक(जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0जयपुर।

विषय:– अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले चिकित्सकों को विभागीय जांच बकाया नहीं का प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले निम्नलिखित चिकित्सकों कार्मिक विभाग की रिपोर्ट के आधार पर इनके विरूद्व वर्तमान में कोई विभागीय जांच/एफआईआर विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।

क्रं. सं.	राजपत्रित अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	5	5	6
1	डा0 लक्ष्मण गुप्ता	व.वि(मेडिसन)	14-08-54	31-08-14
2	डा0 लता जैन/गुप्ता	क0वि0(गायनी)	12-06-54	30-06-14
3	डा0 रमेश चन्द बंसल	व.चि.अ	01-09-54	31-08-14
4	डा0 इन्दु गुप्ता	व.चि.अ	06-09-54	30-09-14
5	डा0 राजेश व्यास	व.चि.अ	11-09-54	30-09-14
6	डा0 जगन लाल मीणा	व.वि(सर्जरी)	05-09-54	30-09-14
7	डा0 मदन लाल सौलंकी	क.वि(सर्जरी)	06-09-54	30-09-14
8	डा0 मक्खन लाल कांवट	क.वि(फोरेनिक मेडिसन)	05-09-54	30-09-14
9	डा0 महेन्द्र नारायण श्रीवास्तव	क0वि0 (मेडिसन)	15-09-54	30-09-14
10	डा0 दुलीचन्द जोनवाल	व0चि0अ0	11-11-54	30-11-14
11	डा0 जसपाल बडगप्पा	क0वि0(ई0एन0टी0)	12-02-55	28-02-15

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. विशिष्ठ सहायक, मा0 चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय।
3. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर। निदेशक (जन स्वा0) को प्रेषित कर लेख है कि कृपया संबंधित चिकित्सकों को प्रति भेजकर सूचित करने का श्रम करें।
4. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राज0, जयपुर।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
10. प्रभारी, कम्प्युटर सर्वर रूम को वेबसाईट हेतु।
11 कम्प्युटर सैल/रक्षित पत्रावली।

(ए0 एच0 अंसारी)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– राजपत्रित/सामान्य/प–10/2014/530 दिनांक : 3-9-14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक पं034(5)चिस्वा/2/13 जयपुर, दिनांक 22.08.14 प्राप्ति दिनांक 28.08.14 के क्रम में।
2. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज/समबद्व चिकित्सालय, राजस्थान/R.F.P.T.C. जयपुर, अजमेर/K.N.T.B.D.C. अजमेर
3. निदेशक, ई.एस.आई./भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर/भरतपुर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर/अजमेर।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
6. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान।
8. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क्षय निवारण केन्द्र, राजस्थान।
9. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
10. कार्यालय सहायक, राजपत्रित गोपनीय अनुभाग, मुख्यालय।
11. संबंधित डीलिंग सीट, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
12. प्रभारी, प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र को **आज ही विभाग की वेबसाइट पर डलवाने** की व्यवस्था करावें।
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।